

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग
आदेश

वित्तीय वर्ष 2016-17 में “भागलपुर जिलान्तर्गत MSDP योजनान्तर्गत (10+2) उच्च विद्यालय, नाथनगर में 100 शैय्या वाले बालिका छात्रावास” निर्माण कार्य की ई0 निविदा आमंत्रित की गई थी। उक्त निविदा में न्यूनतम सफल निविदादाता मे0 रुद्रा इन्फ्रासिटी प्रा0लि0, निदेशक, श्री राजेश कुमार सिंह, राम कृष्ण पथ, रूप भवन कैम्पस, कृष्ण शिव इन्कलेव, ईस्ट बोरिंग केनाल रोड, पटना-800001 के पक्ष में बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 के पत्रांक-3259(अनु0) दिनांक-24.12.2016 के द्वारा कुल ₹2,64,97,355.40 रुपये का कार्यावंटन का आदेश निर्गत किया गया था। तदोपरान्त उप-महाप्रबंधक पी०आई०यू०, भागलपुर के साथ संवेदक ने एकरारनामा संख्या-01 SBD/2017-18 सम्पादित किया, जिसमें कार्य पूर्ण करने की अवधि 09.04.2018 निर्धारित थी।

संवेदक मे0 रुद्रा इन्फ्रासिटी प्रा0लि0, निदेशक, श्री राजेश कुमार सिंह, राम कृष्ण पथ, रूप भवन कैम्पस, कृष्ण शिव इन्कलेव, ईस्ट बोरिंग केनाल रोड, पटना-800001 के द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर उप-महाप्रबंधक, पी०आई०यू०, भागलपुर के द्वारा पत्रांक-190, दिनांक-02.05.2017 से संवेदक को कार्य अविलम्ब प्रारम्भ करने हेतु पत्र दिया गया, परन्तु संवेदक के कार्य कलाप में कोई अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। फलस्वरूप उप-महाप्रबंधक पी०आई०यू०, भागलपुर के पत्रांक-297 दिनांक-12.07.2017 के द्वारा संवेदक को डीबार की चेतावनी से संबंधित पत्र दिया गया। उप-महाप्रबंधक, पी०आई०यू०, भागलपुर के द्वारा कार्य में सुधार लाने के लिए अनेक पत्र दिये गये, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	संबंधित पदाधिकारी	पत्रांक	दिनांक
1.	उप-महाप्रबंधक, पी०आई०यू०, भागलपुर	40	25.01.2018
2.	उप-महाप्रबंधक, पी०आई०यू०, भागलपुर	102	16.03.2018
3.	उप-महाप्रबंधक, पी०आई०यू०, भागलपुर	345	20.09.2018
4.	उप-महाप्रबंधक, पी०आई०यू०, भागलपुर	485	20.11.2018

उपर्युक्त पत्रों के अनुपालन में शिथिलता बरतने के कारण उप-महाप्रबंधक, पी०आई०यू०, भागलपुर ने अपने पत्रांक-597 दिनांक-29.12.2018 के द्वारा संवेदक को डीबार कर दिया। इसके उपरान्त उप-महाप्रबंधक, पी०आई०यू०, भागलपुर ने अपने पत्रांक-82 दिनांक-09.02.2019 के द्वारा संवेदक को कालीकृत की सूची में डालने हेतु अनुशंसा की। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना द्वारा भी संवेदक को कालीकृत करने की अनुशंसा की गयी।

दिनांक-27.03.2019 को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना की अध्यक्षता में आयोजित संवेदकों के निलंबन/कालीकरण संबंधी बैठक में समिति द्वारा संवेदक मे0 रुद्रा इन्फ्रासिटी प्रा0लि0, निदेशक, श्री राजेश कुमार सिंह, राम कृष्ण पथ, रूप भवन कैम्पस, कृष्ण शिव इन्कलेव, ईस्ट बोरिंग केनाल रोड, पटना-800001 से स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार विभागीय पत्रांक-3553 दिनांक-03.04.2019 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण पूछा गया तथा पत्रांक-5055 दिनांक-06.06.2019, 6662 दिनांक-22.07.2019 एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से स्पष्टीकरण हेतु स्मारित किया गया। संवेदक से प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक-29.07.2019 पर दिनांक-04.09.2019 को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना की अध्यक्षता में आयोजित संवेदकों के निलंबन/कालीकरण संबंधी बैठक में समिति द्वारा विचार किया गया तथा प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना से यह प्रतिवेदन मांगने का आदेश दिया गया कि इस मामले में अंतिम मापी/एकरारनामा का विखंडन किया गया है अथवा नहीं। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना द्वारा अपने पत्रांक-3614 दिनांक-10.12.2019 के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया कि संवेदक, मे0 रुद्रा इन्फ्रासिटी प्रा0लि0, निदेशक, श्री राजेश कुमार सिंह, राम कृष्ण पथ, रूप भवन कैम्पस, कृष्ण शिव इन्कलेव, ईस्ट बोरिंग केनाल रोड, पटना-800001 द्वारा वर्तमान में कार्य प्रगति में अपेक्षित सुधार किया गया है तथा मार्च 2020 तक कार्य पूर्ण करने का लिखित आश्वासन दिया गया है। प्रबंधक निदेशक द्वारा एकरारनामा के विखंडन के बिना ही अग्रेत्तर कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है।

प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना के उक्त पत्र पर दिनांक-20.01.2020 को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना की अध्यक्षता में आयोजित संवेदकों के निलंबन/कालीकरण संबंधी बैठक में समिति द्वारा विचार किया गया। समीक्षोपरांत संवेदक के निबंधन को कार्य पूर्ण होने तक निलंबित करने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया।

समिति द्वारा लिए गये उक्त निर्णय के आलोक में संवेदक मे0 रुद्रा इन्फ्रासिटी प्रा0लि0, निदेशक, श्री राजेश कुमार सिंह, राम कृष्ण पथ, रूप भवन कैम्पस, कृष्ण शिव इन्कलेव, ईस्ट बोरिंग केनाल रोड, पटना-800001 के निबंधन सं0-प्रथम(कंपनी)-44(भवन)2016 को “भागलपुर जिलान्तर्गत MSDP योजनान्तर्गत (10+2) उच्च विद्यालय, नाथनगर, में 100 शैय्या वाले बालिका छात्रावास” का निर्माण कार्य पूर्ण होने तक निलंबित किया जाता है।

ह0/-

(कश्यप कुमार गुप्ता)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-08/2019..... पटना,दिनांक-

स्पीडपोस्ट

प्रतिलिपि:-मे0 रुद्रा इन्फ्रासिटी प्रा0लि0, निदेशक, श्री राजेश कुमार सिंह, राम कृष्ण पथ, रूप भवन कैम्पस, कृष्ण शिव इन्कलेव, ईस्ट बोरिंग केनाल रोड, पटना-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-08/2019.....पटना,दिनांक-

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग,/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/ऊर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/प्रबंध निदेशक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/मुख्य महाप्रबंधक(परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत

संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
ज्ञापांक-भवन-13/अभि०प्र०(नि०)-03-निलंबन/कालीकृत-08/2019.869(81)पटना,दिनांक-27.1.2023
प्रतिलिपि:-आई० टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर
अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Bay
24/01/2023

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव